कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।
वाहन नीलामी हेतु विज्ञप्ति

वाहन क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सरकारी वाहन एम्बेसडर कार संख्या U.P.80K/7602 Model 1996 की नीलामी दिनांक 30.07.2015 को सांय काल 4.00 बजे जनपद न्यायालय के सैन्ट्रल हाल में, नजारत के सामने, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष की जायेगी।

बोली दाता को धरोहर धनराशि मु0 5,000/– नकद धनराशि के रूप में बोली बोलने से पूर्व नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। सर्वाधिक बोलीदाता को कुल बोली की 1/4 धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात 7 दिन के अन्दर वाहन का वास्तविक रूप में कब्जा लेने से पूर्व जमा करनी होगी। शेष 3/4 धनराशि जमा न करने पर तथा कब्जा न लेने पर जमा की गयी समस्त धनराशि को राज्य सरकार के हक में जब्त कर जमा कर लिया जायेगा। न्यूनतम बोली न आने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश नीलामी स्थगित करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नीलाम स्वीकृत कर्ता अधिकारी को होगा। उक्त वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में जनपद न्यायालय परिसर, फिरोजाबाद में किया जा सकता है तथा वाहन को जहाँ–जैसा है वैसी ही स्थिति में नीलाम कर कब्जा दिया जावेगा। विज्ञप्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ऑफिसियल बेवसाइट www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है।

प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।

प्रतिलिपिः–

निम्नलिखित को सूचना पट पर चस्पा करने व बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1–माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2–जिलाधिकारी/एन0आई0सी0 की बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
2–निर्देशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ को अखबार में प्रकाशन हेतु।
3–जिला सूचना अधिकारी, फिरोजाबाद को निशुल्क प्रकाशन हेतु।
4–समय भास्कर/दाता संदेश अथवा अन्य किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
5–जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
5. कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।
6. कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी फिरोजाबाद।
7. रेलवेस्टेशन, बस स्टेण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।

प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।

DISTRICT JUDGE
FIROZABAD